


योगी आदित्यनाथ
माओ मुख्यमंत्री, 30प्र०

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत
अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित

रामनगरी अयोध्या में अपने सपनों का घर बनाने का सुनहरा अवसर...

वशिष्ठ कुंज फेज-1 आवासीय योजना



फिरोजपुर उपरहार,
लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग-27



पंजीकरण पुस्तिका

ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि – दि.: 09.12.2024 से 08.01.2025

QR Code form – C (RERA)



आवदेन प्रक्रिया

पंजीकरण हेतु
अयोध्या विकास प्राधिकरण
की वेबसाइट www.ayodhyada.in
पर क्लिक करें।

सत्येन्द्र सिंह
सचिव

अश्विनी कुमार पाण्डेय
उपाध्यक्ष

गौरव दयाल
मण्डलायुक्त / अध्यक्ष



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

14 कोसी परिक्रमा मार्ग, सिविल लाईन, अयोध्या

Website: www.ayodhyada.in | e-Mail: vcafd@gmail.com | Contact: +91-7388898904

वशिष्ठ कुंज फेज-1, आवासीय योजना, लखनऊ-अयोध्या
राष्ट्रीय राजमार्ग-27, अयोध्या

1. परियोजना की प्रमुख स्थलों से दूरी

- ❖ श्री रामजन्म भूमि मन्दिर से 20.00 किमी०।
- ❖ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से 12.00 किमी०।
- ❖ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से 12.00 किमी०।

2. परियोजना के विशेष आकर्षण

- ❖ योजना लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर प्रस्तावित भव्य श्री राम प्रवेश द्वार के सन्निकट है।
- ❖ योजना पर्यटन विभाग द्वारा 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विकसित किये जा रहे गेट काम्प्लेक्स एवं टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर के निकट है।
- ❖ योजना में 18मी०, 24मी० एवं 36मी० चौड़ी सड़कों का प्राविधान किया गया है।
- ❖ योजना में एस०टी०पी० (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) विद्युत सबस्टेशन, पार्क, ग्रीन बैल्ट, ओवर हैड टैंक, नियमित जलापूर्ति इत्यादि का प्राविधान किया गया है।
- ❖ योजना के अन्तर्गत अस्पताल, स्कूल, पुलिस चौकी, कम्यूनिटी सेंटर इत्यादि का प्राविधान किया गया है।
- ❖ योजना में कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल एवं ग्रुप हॉउसिंग के भू-खण्ड का भी प्राविधान किया गया है।
- ❖ संलग्न ले-आउट के अनुसार बाउण्ड्रीवॉल एवं गेट का प्राविधान किया गया है।

3. आवेदन/पंजीकरण की पात्रता एवं अवधि

- ❖ पंजीकरण की अवधि:- 09.12.2024 से 08.01.2025 तक।
- ❖ पंजीकरण हेतु पात्रता:-
 - आवेदक की उम्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
 - आवेदक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं।
 - आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में किसी भी विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/अन्य सरकारी विभाग द्वारा एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड आवंटित नहीं होना चाहिए।
 - आवेदक व उसके परिवार के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

Signature

सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण

रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ207195/11/2024

4. योजना में उपलब्ध भूखण्डों का विवरण

क्र० सं०	भूखण्डों का प्रकार	भूखण्डों की संख्या	भूखण्ड की माप	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	भूखण्ड दर प्रति वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य	आवेदन धनराशि	
							अनारक्षित श्रेणी	आरक्षित श्रेणी
1.	HIG- II	140	10 X 20	200.00	32320.00	6464000.00	646400.00	323200.00
2.	HIG- I	122	9 X 18	162.00	32320.00	5235840.00	523584.00	261792.00
3.	MIG- III	105	7.5 X 15	112.5	32320.00	3636000.00	363600.00	181800.00
4.	MIG- II	50	6 X 15	90.00	32320.00	2908800.00	290880.00	145440.00
5.	MIG- I	58	6 X 12.5	75.00	32320.00	2424000.00	242400.00	121200.00
6.	LIG- II	10	5 X 12	60.00	31525.00	1891500.00	189150.00	94575.00
7.	LIG- I	55	5 X 10	50.00	31525.00	1576250.00	157625.00	78812.50
8.	EWS	60	4 X 9	36.00	29140.00	1049040.00	104904.00	52452.00
कुल भूखण्डों की संख्या-		600						

- ❖ भू-खण्डो का मूल्य अनुमानित है। विकास कार्य पश्चात भू-खण्ड के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि देय होगी।
- ❖ आवंटी को कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग में 05 प्रतिशत तथा 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी सम्पत्ति में तीनों गुण है तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक देय होगा।
- ❖ भूखण्ड मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज रजिस्ट्री के समय अलग से देय होगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया

5.1 आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट <https://ayodhyada.in> पर जायें अथवा मुख्य पृष्ठ पर अंकित क्यू०आर० कोड को स्कैन करें।

5.2 लॉटरी में प्रतिभाग करने हेतु देय धनराशि—

5.2.1	आवेदन शुल्क (नॉन-रिफण्डेबल)	1000 रूपये (जी०एस०टी० सहित)
5.2.2	पंजीकरण शुल्क (रिफण्डेबल)	भूखण्ड के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग हेतु तथा 05 प्रतिशत आरक्षित वर्ग हेतु। नोट— लॉटरी में भूखण्ड आवंटित न होने की दशा में लॉटरी की तिथि से 30 दिवस के अन्दर जमा पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।

5.3 ई०डब्ल्यू०एस० श्रेणी के आवेदकों की आय रूपये 3.00 लाख तक प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

5.4 एल०आई०जी० श्रेणी के आवेदकों की आय रूपये 3.00 लाख से 6.00 लाख तक प्रतिवर्ष होनी चाहिए। इस श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

5.5 दर्शाये गए भूखण्डों की संख्या अनुमानित है जो घट-बढ़ सकती है।

5.6 आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

5.7 आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेंगे—

5.7.1 आवेदक/आवेदकों की फोटो

5.7.2 आधार कार्ड

5.7.3 पैन कार्ड

5.7.4 स्कैन हस्ताक्षर

5.7.5 आय प्रमाण पत्र — ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी के आवेदकों को

5.7.6 आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र।

5.7.7 यदि दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक है, तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

5.7.8 पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये प्रारूपों पर शपथ पत्र।

5.8 लॉटरी में चयनित आवेदकों को लॉटरी की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर समस्त अभिलेख एवं शपथ पत्र (मूल रूप में) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।



सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण

- 5.9** आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है, उसी नाम का बैंक खाता विवरण में दिया जाए।
- 5.9.1** आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- 5.9.2** शासनादेश के अनुक्रम में भूखण्डों का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।
- 5.9.3** संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों में दोनों आवेदकों के स्कैन हस्ताक्षर अपलोड किये जायेंगे।
- 5.10** आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 24 माह के अन्दर आवंटी को भूखण्ड का सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त निबन्धन करा दिया जायेगा एवं तदोपरान्त कब्जा दिया जायेगा।
- 5.11** निबन्धन इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 5.12** तथ्यों को छिपाना – यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है, तो उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे की जा सकती है।
- 5.13** मात्र पंजीकरण से आवेदक को आवंटन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

6. आरक्षण

- 6.1** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित वरिष्ठ नागरिकों (साठ वर्ष के ऊपर) हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वरिष्ठ नागरिक अनुसूचित जाति का है, तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजेन्टल होगा।
- 6.2** केवल उ0प्र0 के निवासी ही आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्य के निवासी केवल अनारक्षित वर्ग में आवेदन कर सकते हैं।

रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ207195/11/2024

- 6.3 आरक्षण श्रेणी में आवेदन न करने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक आरक्षण के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6.4 विकलांगों को शासनादेश संख्या- 55/आठ-1-18-185 विविध/2010, दिनांक- 15.05.2018 के अनुसार 05 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण देय होगा।
- 6.5 वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- 6.6 आरक्षित श्रेणी की पात्रता हेतु सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र/वैद्य अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6.7 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधन लागू होंगे।
- 6.8 त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 6.9 उ0प्र0 सरकार के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा, जो वर्तमान में निम्नवत् है।

क्र०सं०	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।	05
6.	विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारी, आवास बंधु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	वरिष्ठ नागरिक	10 प्रतिशत हॉरिजेन्टल
9.	दिव्यांगजनों को शासनादेश संख्या-66/आठ-1-18-185 विविध/2010 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार आरक्षण देय होगा।	5 प्रतिशत हॉरिजेन्टल

7. आवंटन

7.1 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी की तिथि की सूचना समाचार पत्रों, वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से दी जायेगी।

आवंटन हेतु लॉटरी निम्न वरीयताओं के आधार पर करायी जायेगी।

7.1.1 **प्रथम वरीयता:** ऐसे आवेदकों को दी जायेगी जो आवंटन पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह (90 दिन) के अन्दर पूर्ण भुगतान करने का शपथ-पत्र (एफिडेविट) देंगे। उक्त अवधि में सम्पूर्ण धनराशि न जमा करने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

7.1.2 **द्वितीय वरीयता:** किशतों में धनराशि जमा करने वाले आवेदकों को दी जायेगी। किशतों में धनराशि जमा करने का विकल्प चुनने वाले आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिवस के अन्दर 20 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण शुल्क समायोजित करते हुये) अनिवार्य रूप से देना होगा। शेष 80 प्रतिशत धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित /8 त्रैमासिक किशतों में देय होगी। देय धनराशि की किशतें समय से जमा न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार विलम्ब ब्याज 15 प्रतिशत पृथक रूप से देय होगा। यदि आवेदक द्वारा देय त्रैमासिक किशत में 06 माह से अधिक विलम्ब किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा तथा सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत तथा दण्ड ब्याज की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।

7.2 किशतों में आवंटित भूखण्ड के आवंटन यदि कुछ किशतें जमा करने के बाद एक मुश्त भुगतान करना चाहें तो उसकी अनुमति होगी, लेकिन एक मुश्त भुगतान के आधार पर आवंटन प्राप्त करने वाले आवंटन को किशतों में भुगतान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7.3 लॉटरी का परिणाम अयोध्या विकास प्राधिकरण की वेबसाइट <https://ayodhyada.in> पर प्रदर्शित किया जायेगा।

7.4 लॉटरी की आवंटन तिथि के अधिकतम 01 माह में आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट <https://ayodhyada.in> से डाउनलोड की जा सकेगी।

7.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लॉटरी की तिथि से पहले जमा पंजीकरण शुल्क की धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए, जमा पंजीकरण शुल्क की धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

7.6 यदि कोई आवेदक लॉटरी में चयनित होने के बाद में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण

रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ207195/11/2024

शुल्क की धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

- 7.7** यदि आवेदक आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के 90 दिन पश्चात् पंजीकरण शुल्क वापस करने का प्रार्थना पत्र देता है तो वह मान्य नहीं होगा तथा आवंटन निरस्त करते हुए सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 7.8** लॉटरी से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट <https://ayodhyada.in> पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो आवेदक लॉटरी हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व कार्यालय से सम्पर्क कर त्रुटि दूर करा सकते हैं।
- 7.9** सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण/आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार करने के उपरान्त वरीयता के आधार पर पृथक-पृथक लॉटरी करायी जायेगी।
- 7.10** जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।
- 7.11** विलम्बन की दशा में वांछित धनराशि जमा न करने पर सक्षम अधिकारी, विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन निरस्त कर दें।
- 7.12** आवंटी को अयोध्या विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार नहीं होगा।
- 7.13 कर/शुल्क आदि की देयता—**
- 7.13.1** आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार, नगर निगम, विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।
- 7.13.2** योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तगत होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क + जी0एस0टी0 का भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 7.14** प्राधिकरण द्वारा घोषित समय में भूखण्डों की रजिस्ट्री/कब्जा देने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा परन्तु यदि किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसमें विलम्ब होता है तो आवंटी अपनी जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापस लेने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु रजिस्ट्री/कब्जे में विलम्ब के आधार पर कोई अन्यथा दावा मान्य नहीं होगा।

रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ207195/11/2024

- 7.15** प्राधिकरण द्वारा दिये गये भुगतान शेड्यूल के अनुसार नियत समय पर धनराशि का भुगतान करना आवंटी का दायित्व है। बकाया धनराशि जमा करने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजना प्राधिकरण का दायित्व नहीं है। देय धनराशि समय से जमा न करने पर नियमानुसार चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा।
- 7.16** विकास कार्य/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अयोध्या विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें, नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 7.17** किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र अयोध्या होगा।
- 7.18** भूखण्डों की स्थिति क्षेत्रफल एवं मूल्य प्रोविजनल है विकास कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन हो सकता है।
- 7.19** यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसको आवंटित भूखण्ड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
- 7.20** आवंटी को कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग में 05 प्रतिशत तथा 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी सम्पत्ति में तीनों गुण है तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक देय होगा।
- 7.21** पंजीकरण पुस्तिका में किसी भी लिपिकीय त्रुटि को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या में निहित है।
- 7.22** सम्पत्तियों का आवंटन "जहां है जैसे है" के आधार पर किया जायेगा।
- 7.23** समस्त भूखण्डों का आवंटन उपरोक्तानुसार लॉटरी द्वारा किया जायेगा तथा चयन सूची में किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट भूखण्ड की माँग को स्वीकार नहीं की जायेगा।
- 7.24** पंजीकृत व्यक्ति को रजिस्ट्री के पूर्व अपने पंजीकरण के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होगा। केवल पंजीकृत व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के खून के रिश्ते जैसे- भाई-बहन, माता-पिता, पुत्र-पुत्री को वह हस्तांतरण निःशुल्क किया जा सकता है।
- 7.25** आवंटी द्वारा भूखण्ड की समस्त धनराशि की अदायगी कर दिये जाने और उसके पक्ष में विधिवत रजिस्ट्री हो जाने पर उसे ऐसे भू-खण्ड, किसी के पक्ष में बेचने/हस्तांतरण करने की स्वतंत्रता होगी, उसके लिए किसी प्रकार के अनापत्ति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- 7.26** पंजीकरण पुस्तिका में किसी भी तरह के संशय की स्थिति में, उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं व जहां-जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे—

परिवार

परिवार का आशय पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।

सम्पत्ति

सम्पत्ति का तात्पर्य भूखण्ड से है।

पंजीकरण

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण खोलते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य

उ०प्र० राज्य अथवा राज्याधीन उपक्रम की सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो से है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित/आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति से है।

वरिष्ठ नागरिक का तात्पर्य


पंजीकरण की अन्तिम तिथि को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति से है।

प्राधिकरण इत्यादि के कर्मचारी का तात्पर्य

प्राधिकरण इत्यादि के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष की सेवा पूरी हो।

नोट:- नवीनतम राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), भारतीय मानक कोड (IS Codes) के अनुसार निर्माण, निर्माण सामग्री और विद्युत सुरक्षा के नियमों का पालन के साथ, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के नियमों का भी ध्यान रखें।

ले-आउट प्लान



380
सावित्र
अरोचना शिवराम प्रादिकरण
अरोचना ।



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रू0 100.00 के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं/हम/श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री

आयु वर्ष, निवासी

.....



शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते है कि: -

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. आवेदन की अन्तिम तिथि को मेरी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है।
3. आवेदन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं मूल रूप में शपथ पत्र लॉटरी में चयनित होने के पश्चात लॉटरी तिथि के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा करा दिया जायेगा।
4. मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, या अन्य किसी सरकारी विभाग से मेरे/हमारे किसी भी सदस्य को एक से अधिक आवासीय भवन, भूखण्ड या प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है।
5. मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि अयोध्या में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भी आवासीय भवन, भूखण्ड, या प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है।
6. मैं/हम आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे, यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।

Signature

सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या।

रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ207195/11/2024

7. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भू-खण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
8. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वो सत्य हैं।

हस्ताक्षर



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

एकमुश्त भुगतान हेतु शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल एकमुश्त भुगतान के विकल्प का चयन
करने वाले आवेदकों के लिए)

(शपथ पत्र रू0 100.00 के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)


मैं/हम/श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री
आयु वर्ष, निवासी
.....



शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते है कि: -

1. मैं/हमने एकमुश्त भुगतान के विकल्प का चयन किया है।
2. मैं/हम भलीभांती अवगत है कि एकमुश्त भुगतान का चयन करने पर सम्पूर्ण देय धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिवस के अन्दर प्राधिकरण में जमा करा दिया जायेगा।
3. यदि निर्धारित समयाविधि में उक्त धनराशि मेरे/हमारे द्वारा जमा नहीं करायी जाती है, तो प्राधिकरण आवंटन निरस्त करते हुये पंजीकरण धनराशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर


सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / भुगतान जानकारी के लिए सम्पर्क करें—

पोर्टल से सम्बन्धित, किसी तकनीकी समस्या हेतु	आलोक सिंह, (आई.टी. सलाहकार) मो0— 7607778924, 7607778926
भुगतान सम्बन्धित समस्या हेतु	मो. शकील अली, (एच.डी.एफ.सी. बैंक) मो0—8896071446

प्रमुख सम्पर्क सूत्र—

वित्त एवं लेखाधिकारी

अयोध्या विकास प्राधिकरण

मो0— 7607772288

सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण

मो0— 7355541575

उपाध्यक्ष

अयोध्या विकास प्राधिकरण

मो0— 7607778900

रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ207195/11/2024



यू0पी0 रेरा प्रोजेक्ट कलेक्शन एकाउण्ट नम्बर - 99922400122401
आई0एफ0एस0सी0 कोड - HDFC0009505

वशिष्ट कुंज फेज-1, आवासीय योजना से
सम्बन्धित शिकायतों व समस्याओं
के लिए सम्पर्क करें।

दूरभाष नम्बर: +91- 7388898904

(प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)


WhatsApp: +91- 7388898904

Website- <https://ayodhyada.in> | E mail: vcafda@gmail.com



अयोध्या विकास प्राधिकरण

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या।


सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या।